संगठन से सम्बन्धित कार्य, कर्तव्य व ब्यौरा:

कार्य नि पादन के लिए संगठनात्मक संरचना :-

हिमाचल प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना वर्ष १९६३ में हुई। वर्ष १९६६ में पंजाब राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के निश्चित सीमांकन के पश्चात विभाग के संगठनात्मक ढांचे एवं कार्य में निश्चित बढ़ौतरी हुई । व र्ा १९७३ में *'सिंगल स्टेट फूड जोन'* तय होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा इस विभाग के संगठनात्मक ढांचे को *'मूल्य स्थायीकरण स्कीम'* स्वीकृत करके अधिक सुदृढता प्रदान की गई ।

विभाग के विभागाध्यक्ष निदेशक हैं । विभाग के प्रशासनिक कार्यों के निपटारे हेतु निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सहयोग के लिए मुख्यालय में एच.ए.एस. कॉडर का अतिरिक्त/संयुक्त /उप-निदेशक के अधिकारी का एक पद निश्चित है । विभागीय स्तर पर दो संयुक्त निदेशक के पद सृजित हैं जिनमें से एक संयुक्त निदेशक मुख्यालय में तथा एक संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला में तैनात है । विभाग के मुख्यालय पर अन्य अधिकारियों में दो विभागीय उप-निदेशक, एस.ए.एस. कॉडर से एक उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), विभागीय कॉडर के दो अधीक्षक ग्रेड-१, दो विधि अधिकारी एवं एस.ए.एस. कॉडर के चार अनुभाग अधिकारी के पदों का सृजन है । इनके सहयोग के लिए विभिन्न श्रेणियों के ८६ पद सृजित हैं । क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला में एवं प्रत्येक जिला स्तर पर क्रमश: एक संयुक्त निदेशक व जिला नियन्त्रक,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पद के सहयोग के लिए एक जिला निरीक्षक , एक अधीक्षक ग्रेड-।।, कुछ वरि ठ सहायक कुछेक निश्चित कनि ठ सहायक/लिपिक निरीक्षक एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों के पद सृजित हैं ।

प्रदेश में ३१.३.२००७ की स्थिति अनुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में श्रेणीबार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का व्योरा निम्नलिखित है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
१	निदेशक,भा०प्र०से०		०१	-

२	अति/सयुंक्त/उप-निदेशक (प्रशासन)हि०प्र०से०		०१	-
३	संयुक्त निदेशक	१०,०२५-१५,१००	०२	-
४	उप-निदेशक	७८८०-११,६६०	०२	०२
५	उप-नियन्त्रक(वित्त एवं लेखे)	७८८०-११,६६०	०१	-
६	जिला नियन्त्रक	७२२०-११,६६०	१२	०४
७	अधीक्षक ग्रेड-१	७२२०-११,६६०	०२	-
८	विधि अधिकारी	६४००-१०,६४०	०२	-
९	अनुभाग अधिकारी		०४	०२
१०	अधीक्षक ग्रेड-२	६४००-१०,६४०	१४	-
११	जिला निरीक्षक	६४००-१०,६४० जमा १२०/- विशे ा भत्ता	१७	०४ (०१ जिला निरीक्षक हि०प्र. रा०ना०आ०नि० में सैकण्डमैंट पर हैं, इस कारण खाली हैं) (०४-०१ - ०३)
१२	वरिष्ठ सहायक	५८००-९२००	१४	-
१३	वरिष्ठ सहायक(लेखा)	५८००-९२००	१८	-
१४	लेखा परीक्षक	५८००-९२००	२५	०४
१५	निजि सहायक	६४००-१०६४० जमा ३००रु- विशे ा भत्ता	०१	-
१६	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	५८००-९२००	०२	०१ (०१ वरि ठ वेतनमान आशुलिपिक हि०प्र. रा०ना० आ०नि० में सैकण्डमैंट पर हैं, इस कारणा खाली है)
१७	क० वेतनमान आशुलिपिक	४४००-७०००	०५	-

१८	आशु-टंकक	३३३०-६२०० जमा १००/- विशे ा भत्ता	१०	०५
१९	निरीक्षक ग्रेड-१	५४८०-८९२५	८१	२०
२०	निरीक्षक ग्रेड-२	४४००-७०००	१४	०२
२१	तकनीकी सहायक	६४००-१०,६४०	०१	-
२२	सांख्यकी सहायक	५४८०-८९२५	०२	-
२३	मुख्य विश्लेषक	५४८०-८९२५	०२	-
२४	कनिष्ठ विश्लेषक	४४००-७०००	०१	०१
२५	लिपिक/कनि ठ सहायक	३१२०-५१६० (आरम्भ ३२२०/-) ४४००-७०००	८७	१६ (०१ लिपिक हि०प्र०रा०ना०आ०नि०, डोडरा-क्वार में सैकण्डमैंट आधार पर भी है, इस कारण खाली है) (१६-०१त्र१५)
२६	संगणक	३१२०-५१६०	०१	०१
२७	रेस्टोरर	३१२०-५१६०	०१	-
२८	चालक	३३३०-६२०० जमा ३००/- विशे ा भत्ता	१९	०३
२९	यन्त्र चालक	२८२०-४४००	०२	-
३१	दफतरी	२८२०-४४००	०२	-
३२	सेवादार	२५२०-४१०० (आरम्भ २६२०/-)	४०	-
३३	चौकीदार	२५२०-४१०० (आरम्भ २६२०/-)	१२८	९० (अन्य विभागों में सैकण्डमैंट आधार पर भेजे जाने के फलस्वरूप खाली हैं)
कुल			५१४	

संगठनात्मक संरचना में कार्य विभाजन

विभागीय कार्य के कुशल नि   पादन के लिए समग्र संगठनात्मक/ प्रशासनिक/ प्रयोगात्मक ढांचों को मूलतः चारा स्तरों पर विभाजित किया गया है ।

पद्धण निदेशालय

विभाग का निदेशालय शिमला में स्थित है । सरकार द्वारा समय-समय पर तय नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समयबद्ध ढंग एवं सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय पूरी सतर्कता के साथ अपने संगठनात्मक ढांचे को क्रियाशील रखता है एवं समयबद्ध ढंग से सरकार की नीतियों के कार्यन्वयन का अनुश्रवण करता है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके एवं इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकने का दायित्व निभाते हुए सरकार की नीतियों को ज़मीनी स्तर तक लागू करके, इनका लाभ अंन्तिम आदमी तक पहुंचाया जा   सके ।

निदेशालय में कार्य के कुशल नि   पादन, जिम्मेदारियां तय करने की नीति एवं कार्य विभाजन **(decentralization)** के उद्देश्य से विभिन्न प्रको   ठ (शाखाएं) बनाई गई हैं जिनमें से प्रत्येक   ााखा एक वरि   ठ अधिकारी के अधीन कार्य करती है । इस वर्तमान ढांचे का विवरण निम्नलिखित है:-

१	स्थापना ााखा	यह चारों प्रको ठ अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) की देख-रेख में कार्य करते हैं तथा उनके सहायतार्थ उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), एक अधीक्षक ग्रेड-। (प्रशासन), एक अनुभाग अधिकारी (बजट), विधि अधिकारी तथा अन्य स्टाफ कार्यरत है ।
२	बिल/बजट/योजना ााखा	
३	उपभोक्ता मामले ााखा	
४	विधि (प्रशासनिक मामले)	

५	खाद्य ाखा	यह प्रको ठ विभागीय संयुक्त निदेशक की देखरेख में कार्य करते हैं तथा उनके सहायतार्थ अधीक्षक ग्रेड-। (खाद्य), अधीक्षक ग्रेड-।। (आपूर्ति), विधि अधिकारी तथा अन्य स्टाफ कार्यरत है ।
६	आपूर्ति ाखा	
७	तकनीकी ाखा	
८	विधि ाखा (आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य कानूनों से सम्बन्धित मामले	
९	सांख्यिकी ाखा एवं मूल्य परिवीक्षा ाखा	
१०	लेखा /उपदान/ ऋण/प्राप्ति ाखा	यह प्रको ठ उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) की देखरेख में कार्य करते है । उनके सहायतार्थ तीन अनुभाग अधिकारी तथा अन्य स्टाफ कार्यरत है ।
११	आडिट ाखा	
१२	तोल एवं माप प्रभाग	यह प्रभाग नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान की देखरेख में कार्य करता है । उनके सहायतार्थ एक संयुक्त नियन्त्रक, एक उप-नियन्त्रक, एक सहायक नियन्त्रक, एक अधीक्षक ग्रेड-।। तथा अन्य स्टाफ कार्यरत है ।

दिनांक ३१.३.२००७ की स्थिति अनुसार निदेशालय में सृजित, भरे एवं रिक्त पदों का ब्योरा इस प्रकार है :-

कमांक	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पद
१	निदेशक,भा.प्र.से.	०१	०१	-
२	अति. निदेशक(प्रशासन) हि०प्र०से०	०१	०१	-
३	संयुक्त निदेशक	०१	०१	-
४	उप-निदेशक	०२	-	०२

५	उप-नियन्त्रक(वित्त एवं लेखा)	०१	०१	-
६	अधीक्षक ग्रेड-१	०२	०२	-
७	विधि अधिकारी	०२	०२	-
८	अनुभाग अधिकारी	०४	०२	०२
९	अधीक्षक ग्रेड-२	०१	०१	-
१०	वरिष्ठ सहायक	१२	१२	-
११	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	०३	०३	-
१२	लेखा परीक्षक	०८	०८	-
१३	निजि सहायक	०१	०१	-
१४	जिला निरीक्षक	०१	०१	-
१५	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	०१	०१	-
१६	क० वेतनमान आशुलिपिक	०५	०५	-
१७	निरीक्षक ग्रेड-१	०१	०१	-
१८	तकनीकी सहायक	०१	०१	-
१९	सांख्यकी सहायक	०१	०१	-
२०	मुख्य विश्लेषक	०२	०२	-
२१	क० विश्लेषक	०१	-	०१
२२	लिपिक	२१	१५	०६
२३	संगणक	०१	-	०१

२४	रेस्टोरर	०१	०१	-
२५	यन्त्र चालक	०२	०२	-
२६	चालक	०६	०४	०२
२७	दफतरी	०१	०१	-
२८	सेवादार	१३	१३	-
२९	चौकीदार	०२	०२	-
कुल		८९	८५	१४

ii). क्षेत्रीय कार्यालय:

आठ जिलों ख्चम्बा, कांगडा, हमीरपुर, ट्टना, मण्डी, कुल्लू (आनी-निरमंड उप-मण्डल के इलावा) लाहौल-स्पिति(स्पीति उप-मण्डल के इलावा) तथा बिलासपुर, की अतिरिक्त एवं आन्तरिक देखरेख के लिए धर्मशाला में विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है जो इस इस व ा एक विभागीय संयुक्त निदेशक के अधीन कार्यरत रहा । इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य अपने अधीनस्थ जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खुले बाजार के अन्तर्गत हो रहे समग्र कार्यों की परिवीक्षा करना एवं निदेशालय से समन्वय बनाए रखना है । क्षेत्रीय कार्यालय में अन्य स्टाफ के अतिरिक्त एक जिला निरीक्षक व एक अधीक्षक ग्रेड-।। तैनात है ।

iii). जिला कार्यालय:

प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में विभाग के कार्यालय का मुखिया जिला नियत्रक है । उसके सहयोग के लिए शिमला, मण्डी व कांगडा में दो-दो व अन्य सभी जिलों में एक-एक जिला निरीक्षक

नात है । प्रत्येक जिला कार्यालय में अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त एक-एक अधीक्षक ग्रेड-।। भी तैनात है । प्रत्येक जिला कार्यालय निदेशालय के निर्देशों एवं उपलव्ध कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सरकारी नीतियों को जिला प्रशासन की देखरेख में जमीनी स्तर पर लागू करवाना सुनिश्चित करता है ।

iv). खण्ड कार्यालय:

प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में विभाग का एक खण्ड कार्यालय स्थापित है जिसकी देखरेख के लिए विभाग का एक निरीक्षक तैनात है । प्रत्येक निरीक्षक सम्बन्धित जिला नियन्त्रक के निर्देशानुसार एवं उप- मण्डल प्रशासन की देखरेख में जमीनी स्तर पर सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है ।

पअद्धण जन-जातीय/अन्य दुगर्म क्षेत्रों में स्थित कार्यालय:

पांगी, भरमौर, स्पीति एवं डोडरा-क्वार उप-मण्डलों में विभागीय निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ सम्बन्धित आवासीय आयुक्तों की देखरेख में कार्य करते हैं ।

वित्तीय व र्ा २००६-२००७ में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सेवानिवृत होने तथा अकस्मात् मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुए पदों का व्योरा अनुबन्ध १ पर एवं व र्ा के दौरान विभाग की विशे ा उपलब्धियों का विवरण अनुबन्ध २ पर विद्यमान है ।

v). विभागीय उडन दस्ते:

इस व र्ा सरकार ने मंहगाई रोकने एवं कालाबाजारी, जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभाग में दो उडन दस्तों का गठन किया जिनके अधीन प्रदेश के छ:-छ: जिले थे । इनका गठन निम्नलिखित था :-

(क). दक्षिणी क्षेत्र: श्री यादविन्द्रि पाल, जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सोलन (हैड), श्री तरसेम लाल चौधरी

(जिला निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले), श्री रमेश चन्द
(निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति) एवं श्री भाग मल (निरीक्षक,
तोल एवं माप)

कार्यक्षेत्र:- सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, ट्टना, किन्नौर, स्पीति
उप-मण्डल एवं आनी-निरमण्ड ।

(ख). उत्तरी क्षेत्र: श्री आर० के० राकेश, संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले, क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला (हैड), श्री के०के
ार्मा (जिला निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामले), श्री जीत राम ार्मा (निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति) एवं
श्री अशोक कुमार अवस्थी (निरीक्षक तोल एवं माप) ।

कार्यक्षेत्र:- कांगडा, चम्बा, मण्डी, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल उप-मण्डल ।